न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या— 127/2011—12

श्री अतोल सिंह आदि
—बनाम—
चन्दन सिंह आदि

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री शार्दुल नेगी।

बावत
मौजा मैम, पट्टी दशज्यूला,
जनपद टिहरी गढ़वाल।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर, धनोल्टी द्वारा वाद संख्या—05/32/45/65 वर्ष 2000 अन्तर्गत धारा—176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में जारी अमल दरामद आदेश एवं खतौनी फसली वर्ष 1397—1402 में धारा—229बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अंकित प्रविष्टि दिनांक 10—05—2007 के विरूद्व योजित की गई है।

इस निगरानी में प्रतिपक्षीगण की ओर से तामीली के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अधिवक्ता निगरानीकर्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि प्रतिपक्षी संख्या—1 से 3 के पिता श्री चतर सिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि के बावत एक वाद अन्तर्गत धारा—176 जमींदारी विनाश अधिनियम निगरानीकर्तागण संख्या—1 तथा 2 व 3 के पिता के विरूद्व सहायक कलेक्टर, टिहरी के न्यायालय में योजित किया गया था। उक्त वाद दिनांक 31—03—98 को निर्णीत हुआ व इस निर्णय के विरूद्व निगरानीकर्ता व उसके भाई पूरण सिंह द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी के न्यायालय में योजित की गई जो दिनांक 02—05—2000 को स्वीकार कर पत्रावली गुणदोष पर निर्णय हेतु विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, टिहरी को प्रतिप्रेषित की गई। सहायक कलेक्टर, टिहरी द्वारा तहसील, धनोल्टी के गठन के पश्चात वाद सहायक कलेक्टर, धनोल्टी को स्थानान्तरित हुआ। वाद के लम्बित रहने के दौरान निगरानीकर्ता संख्या—2 व 3 के पिता पूरण सिंह का निधन हो गया व प्रतिवादीगण संख्या—1 व 3 के पिता द्वारा मृतक के विधिक वारिसानों के प्रतिस्थापन हेतु कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई जिसके उपरान्त दिनांक 01—06—2006 को वाद अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया और पत्रावली को दाखिल दफ्तर किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश के उपरान्त वाद में कोई अग्रिम कार्यवाही की जानी शेष नहीं रह गई थी। निगरानीकर्ता संख्या—1

ने अपने निजी कार्य के लिए राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज भूमि की खतौनी प्राप्त की तो उससे विदित हुआ कि राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त भूमि जिसके सम्बन्ध में विपक्षी संख्या–1 से 3 के पिता द्वारा उक्त वाद दायर किया था जो अदम पैरवी में खारिज हो गया था, उक्त वाद को बिना पुनर्स्थापित किए ही वाद को आधार बनाकर निगरानीकर्ता व उसके भाई के साथ विपक्षी संख्या–1 से 3 के पिता का नाम भी संयुक्त रूप से भूमिधरी दर्ज कर दिया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा मूल वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया तो विदित हुआ कि उक्त वाद में दिनांक 01–06–2006 को वाद खारिज किये जाने के आदेश के विपरीत दिनांक 10–05–2007 को अवर न्यायालय से उक्त वाद में अमल दरामद का परवाना जारी किया गया व उसके आधार पर उक्त वाद से सम्बन्धित भूमि पर राजस्व अभिलेखों में वादी चतर सिंह का नाम निगरानीकर्ता व उसके भाई के साथ संयुक्त रूप से भूमिधरी दर्ज कर दिया गया। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा तर्क दिया गया कि जब विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया था उसके उपरान्त अवर न्यायालय को ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वह वाद में कोई अग्रिम कार्यवाही/आदेश करें। सहायक कलेक्टर, धनोल्टी के न्यायालय में वाद को पुनर्स्थापित किए जाने हेतु कोई पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया उसके बावजूद भी परवाना अमल दरामद आदेश दिनांक 10–05–2007 जारी किया गया जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया गया। वाद पत्रावली को प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि सहायक कलेक्टर, धनोल्टी द्वारा दिनांक 01–06–2006 को पक्षकारों की अनुपस्थिति में वाद अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था और पत्रावली को दाखिल दफ्तर किए जाने के आदेश पारित किए गए परन्तु दिनांक 10–05–2007 को पत्रावली पर अमल दरामद आदेश जारी किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर यह भी स्पष्ट है कि वाद को पुनर्स्थापित किए जाने हेतु किसी भी पक्ष द्वारा कोई पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वाद पुनर्स्थापित होने के उपरान्त अमल दरामद आदेश जारी किया गया हो। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि सहायक कलेक्टर द्वारा पारित जिस आदेश/डिक्री दिनांक 31–03–98 का अमल दरामद आदेश दिनांक 10–05–2007 को जारी किया गया है उस आदेश को विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 02–05–2000 से निरस्त किया जा चुका है। और खतौनी में अंकित आदेश को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–229बी के अन्तर्गत अंकित किया गया है, जबकि पक्षकारों के मध्य वाद जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–176 के अन्तर्गत विचाराधीन रहा है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित अमल दरामद आदेश दिनांक 10–05–2007 एवं खतौनी फसली वर्ष 1399–1404 में अंकित प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त होने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर सहायक कलेक्टर, धनोल्टी द्वारा पारित अमल दरामद आदेश दिनांक 10–05–2007 एवं खतौनी फसली वर्ष 1399–1404 में अंकित प्रविष्टि को निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 10 अप्रैल, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।